भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 365

02.02.2026 को उत्तर के लिए

वन उत्पादों के लिए अनुमति

365. श्री सुधाकर सिंहः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में स्थानीय वन निवासियों को महुआ, पलाश और अन्य औषधीय वनोपज के संग्रहण, भंडारण और बिक्री के लिए अनुमति/परमिट जारी किए जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का बिहार में जनजातीय समुदायों को महुआ, पलाश और अन्य पारंपरिक एवं औषधीय वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए परमिट जारी करने हेतु समान प्रणाली शुरू करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बिहार, विशेष रूप से कैमूर जिले में उत्पन्न महुआ, पलाश और अन्य पारंपरिक एवं औषधीय वनोपज की मात्रा और इस संबंध में जारी किए गए परमिटों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) सभी लघु वन उपज के स्वामित्व, संग्रहण, उपयोग एवं निपटान संबंधी अधिकार, जो परंपरागत रूप से वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है, के लिए अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों में गैर-काष्ठ वन उपज के संग्रहण हेतु संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को अनुमति दी गई है।

(ख) से (घ) बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार ने दिनांक 23-10-2003 के अपने संकल्प संख्या 3698 के माध्यम से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद जैसे त्रि-स्तरीय स्थानीय निकायों को लघु वन उपज की पहचान करने, संग्रह करने, भंडारण करने, प्रसंस्करण करने तथा विक्रय करने की शक्ति प्रदान की है। बिहार में वन क्षेत्रों से गैर-काष्ठ वन उपज का संग्रहण अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार ने दिनांक 28-01-2013 के अपने संकल्प संख्या 332 के माध्यम से

केन्दू के पत्तों का संग्रहण, भंडारण एवं विक्रय हेतु बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड को पंचायतों का एजेंट नियुक्त किया है।

बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, संग्रहीत की गई केंदू के पत्तों की मात्रा नीचे दी गई हैं:

क्र.सं	**वित्तीय वर्ष**	**केंदु के पत्तों का संग्रहण (मानक बैगों की संख्या में)**
1	2023-24	47,686
2	2024-25	49,470
3	2025-26	39,357
